रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052024-254406
CG-DL-E-28052024-254406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2024/ज्येष्ठ 7, 1946
No. 373] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2024/JYAISHTHA 7, 1946

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

फा. सं. टीई- 32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर.—राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की सिफारिशों पर, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) के धारा 54 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण और जल -मौसम विज्ञान स्टेशन विनियमन, 2024 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ: -** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "खंड" से अधिनियम का खंड अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों को जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. बांध सुरक्षा आश्वासन के संतोषजनक स्तर को प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश, मानक और अन्य निदेश –

(1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, या तो बांध मालिकों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी निर्दिष्ट बांधों की सतत निगरानी रखेंगे, ताकि बांध या तटबंध के ढांचें में दरारें, असामान्य रिसाव, बांध की सुरक्षा के लिए बांध के ढांचे में विक्षेपण और बांध या हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरण से संबंधित किसी भी अन्य समस्या सहित विभिन्न विसंगतियों का निरीक्षण किया जा सके तथा उक्त बांध के लिए संचालन और रखरखाव मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगें।

(2) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, या तो बांध मालिकों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, निम्नलिखित निरीक्षण करेगा, अर्थात्: -

(i) मानसून पूर्व और पश्चात निरीक्षण धारा 31 की उपधारा (1) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार किए जाएंगे;

(ii) बैराजों के लिए 50 वर्ष की वापसी अवधि में प्रत्येक 1 बाढ़ के दौरान या उसके बाद तथा बांधों के लिए 100 वर्ष की वापसी अवधि में प्रत्येक 1 बाढ़ के दौरान या उसके बाद, भूकंप के तुरंत बाद, जिससे परियोजना को संरचनात्मक क्षति होती है या हिमनद झील के फटने से बाढ़, भूस्खलन झील के फटने से बाढ़, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अधिनियम धारा 31 की उपधारा (2) के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा;

(iii) किसी भी कारण से बांध निकाय या उसके किसी सहायक ढांचे में संकट के किसी भी संकेत या किसी असामान्य व्यवहार के मामले में निरीक्षण, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के उपबंधों के और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा;

(iv) बांध के मालिकों या परियोजना प्राधिकारियों द्वारा खंड (i), (ii) और (iii) के अधीन निरीक्षण, अधिनियम की धारा 31 के उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों और चेकलिस्ट के अनुसार किया जाएगा;

(v) अधिनियम की धारा 27 के उपधारा (2) के उपबंध के अनुसार जलाशयों के प्रारंभिक भराव से पहले निरीक्षण किया जाएगा।

(3) प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के संचालन और रखरखाव की निगरानी उक्त बांध के संचालन और रखरखाव मैनुअल के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए बांध मालिकों से राज्य बांध सुरक्षा संगठन को सूचना का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा।

4. विनिर्दिष्ट बांधों के जल-मौसम विज्ञान केंद्र - (1) जल-मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित इनपुट को मापने के लिए बांध के आसपास स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

(i) वर्षा (पातन);

(ii) पानी की सतह;

(iii) प्रवाह;

(iv) तापमान;

(v) नमी;

(vi) वाष्पीकरण;

(vii) हवा का वेग और दिशा; और

(viii) बर्फबारी, जैसा लागू हो।

(2) उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से डेटा माप की आवृत्ति आवश्यकता के आधार पर दिन में एक बार या अधिक होगी, उपकरणों को बांध स्थल पर या किसी भी तटबंध से लगभग 250 मीटर की त्रिज्या पर रखा जाना चाहिए और बांध स्थल पर प्रवाह माप एक अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड रेटिंग वक्र के माध्यम से किया जाएगा जिसे हर दो वर्ष में अद्यतन किया जाएगा।

(3) विनिर्दिष्ट बांधों के प्रत्येक मालिक को बाढ़ के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए जल-मौसम विज्ञान संबंधी उपकरण नेटवर्क की स्थापना करनी होगी।

अनिल जैन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./142/2024-25]

NATIONAL DAM SAFETY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2024.

F. No. TE-32/2/2023-NDSA-MOWR.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (a) and (k) of sub-section (2) of section 54 of the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021), the National Dam Safety Authority, on the recommendations of the National Committee on Dam Safety, hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Surveillance, Inspection and Hydro-meteorological Station of Specified Dams Regulation, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Dam Safety Act, 2021(41 of 2021);

(b) "Authority" means the National Dam Safety Authority established under section 8 of the Act;

(c) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Guidelines, standards and other directions for achieving the satisfactory level of dam safety assurance. –

(1) Every State Dam Safety Organisation, either through dam owners or by any other means, shall keep perpetual surveillance of all specified dams under their jurisdiction, to observe various anomalies including cracks in the body of the dam or abutment, unusual seepage, deflection in the dam body and any other problem related to dam or hydro-mechanical equipment, for the safety of the dam and follow the instructions in the operation and maintenance manual for the said dam.

(2) Every State Dam Safety Organisation, either through dam owners or by any other means, shall carry out the following inspections, namely: -

(i) pre and post-monsoon inspections shall be carried out in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 31, and the regulations made thereunder;

(ii) inspections during or after every 1 in 50-year return period flood for barrages and 1 in 100-year return period flood for dams, immediately after an earthquake which causes structural damage to the project or such natural calamities as glacial lake outburst flood, landslide lake outburst flood, avalanches shall be carried out in accordance with the provision of sub-section (2) of section 31 of the Act and the regulations made thereunder;

(iii) inspection in case of any sign of distress or any unusual behaviour if noticed in the dam body or any of its appurtenant structure for whatsoever reason, shall be carried out in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 31 of the Act and the regulations made thereunder;

(iv) inspection under clauses (i), (ii) and (iii) shall be carried out in accordance with the guidelines and checklist specified under sub-section (3) of section 31 of the Act by the owners or the project authorities of the dam;

(v) inspection shall be conducted before the initial filling of reservoirs in accordance with the provision of sub-section (2) of section 27 of the Act.

(3) Monitoring of operation and maintenance of each specified dam shall be carried out as per the provisions of Operation and Maintenance manual of the said dam and a continuous flow of information from dam owners to State Dam Safety Organisation shall be ensured for this purpose.

4. Hydro-meteorological stations of specified dams - (1) Hydro-Meteorological Station for measuring the following inputs shall be established near dam vicinity, namely: -

(i) rainfall (precipitation);

(ii) water level;

(iii) discharge;

(iv) temperature;

(v) humidity;

(vi) evaporation;

(vii) wind velocity and direction; and

(viii) snowfall, as applicable.

(2) The frequency of data measurement through the appropriate instruments shall be once a day or more depending upon the requirement, the instruments are to be placed at the dam site or at around 250 m radius from any abutment and the discharge measurement at the dam site shall be through a well calibrated rating curve which shall be updated every two years.

(3) Every owner of the specified dam shall install well-designed hydro- meteorological instrumentation network for inflow forecasting and flood warning.

ANIL JAIN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./142/2024-25]

5Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.28 20:54:31 +05'30'